Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2016 = 6.17, www.srjis.com
UGC Approved Sr. No.49366, MAR–APR, 2018, VOL- 5/44

प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा : आवश्यकता एवं सुझाव

सुचित्रा सखी दिनकर

Abstract

विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग 1987 के प्रतिवेदन के अनुसार आज पर्यावरण चेतना में कमी आ गयी है। आधुनिक तकनीकी एवं विकास के तौर तरीकों ने भी पर्यावरण का काफी विदोहन किया है। जहाँ तक पर्यावरण का प्रश्न है यह केवल वृक्षारोपण या वृक्ष संरक्षण तक ही सीमित नहीं है; अपितु यह वह प्राकृतिक आधार है जिस पर मानव जीवन व जीव जन्तु जीवित रहते हैं। इसी पर कृषि एवं औद्योगिक क्रान्ति भी निर्भर करती है। दुनियाँ के किसी भी हिस्से में जब–जब पर्यावरण संकट आया है; इसकी मार व विपत्तियाँ गरीब व मध्यम वर्ग पर अधिक पड़ी हैं। हमारे देश की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक भाग इसी निम्न तथा मध्यम वर्ग का है जो कि पर्यावरणीय विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। चाहे वह दूषित जल से उत्पन्न समस्या हो, या प्रदूषित वायु से। अतः समस्या की गम्भीरता को मद्देनजर रखते हुये आज यह आवश्यक हो गया है कि समाज के प्रत्येक वर्ग में पर्यावरण चेतना जागृत हो और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। स्कूल कॉलेजों के बच्चों से लेकर बड़े–बूढ़ों, मजदूर और किसानों सभी को शामिल करके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न अवयवों एवं संसाधनों से परिचित कराया जाय। इस तरह के पर्यावरणीय ज्ञान से युवा वर्ग ही नहीं, अपितु आमजन भी भविष्य में खुद अपने लिये एक स्वावलम्बी योजना बना सकते हैं जिससे उनके और उनके संसाधनों के बीच एक संतुलन व आदर्श सम्बन्ध स्थापित हो सके। आज आवश्यकता है, जन चेतना जागृत करने की; ताकि पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते संकट से निजात पायी जा सके। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। प्रारम्भिक स्तर पर बालक–बालिकाओं का मन मस्तिष्क अत्यधिक कोमल व कच्चा होता है। उन्हे जिस प्रकार का परिवेश सुविधायें व औपचारिक व्यवस्थायें प्राप्त होती है, उसके अनुरूप वे ढलते व विकसित होते चले जाते है। अतः प्रारम्भिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा मानदण्ड़ों की सार्थक प्रतिपूर्ति परम आवश्यक है।

पारिभाषिक शब्दावली: अनियमितता, विद्यालय वातावरण, अनुशासन, प्रजातांत्रिक मूल्य, पर्यावरण शिक्षा

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

उद्देश्यः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा के अपेक्षित व प्रभावी गुणवत्ता मुद्दों की पहचान करना। विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में उपलब्धि स्तर का मूल्याकंन कर उनके वर्तमान शैक्षिक स्तर का प्रतिपादन करना।

प्रस्तुत शोध समस्या की निम्नांकित परिकल्पना प्रतिपादित की गई : –

1 ''प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को पाठृयक्रम में सम्मिलित करना पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

2 '' प्रारम्भिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा मानदण्ड़ों की सार्थक प्रतिपूर्ति परम आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध की समस्या, वर्तमान स्थिति, तथ्य, सुझाव व समाधान संबंधी वस्तुस्थिति का आंकलन निम्नांकित संरचनानुसार किया गया। प्रमुख शोध चर : प्रस्तुत शोध में विद्यार्थी, विद्यालय, पाठृयक्रम, प्रमुख शोध चर रहे है। सहायक शोध चर : मानवीय ससांधन, भौतिक ससांधन, संचयी अभिलेख, उपलब्धि स्तर एवं क्रियान्वयन प्रस्तुत शोध के सहायक शोध चर रहे है।

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध कार्य सर्वेक्षण विधि के माध्यम से सम्पादित किया गया। शोध उद्देश्यों की वांछित प्रतिपूर्ति हेतु मूल्यांकन, परीक्षण, साक्षात्कार व अवलोकन आदि प्रविधियों का प्रयोग किया गया। विधि व प्रविधि अनुसंधान प्रकिया को परिचालित करने का एक तरीका है जो समस्या की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होता है।

सन् 2009 में 'भारतीय पर्यावरण संस्था' नई दिल्ली ने अपनी पुस्तक 'पर्यावरण शिक्षा' के विकास हेतु निम्न व्यवहारिक सुझाव दिये[3]–

1. पर्यावरणीय शिक्षा का स्वरूप इस तरह से होना चाहिये कि जिससे पर्यावरणीय नीति का विकास हो सके, जैसे– मनुष्य का प्रकृति, समाज व मनुष्य के प्रति मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन। साथ ही मनुष्य यह अनुभव करे कि वह प्रकृति का ही एक अभिन्न अंग है; न कि प्रकृति से अलग।
2. पर्यावरणीय शिक्षा का स्वरूप माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर इस तरह से होना चाहिये कि जिसके अध्ययन से छात्रों में पर्यावरणीय जागरूकता जागृत हो सके।
3. पर्यावरणीय शिक्षा का आधार इस तरह से बनाना चाहिये जिससे कि छात्रों में पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न संकल्पनाओं तथा सिद्धान्तों का स्पष्ट ज्ञान हो जाय।
4. पर्यावरणीय शिक्षा के स्वस्थ विकास हेतु अध्यापकों, डाक्टर्स, इन्जीनियर्स, नियोजकों, सामाजिक वैज्ञानिकों, नीति–निर्धारकों तथा प्रशासकों में 'रि–ओरियेन्टेशन' पाठ्यक्रम क्रियान्वित किये जांय। तथा सामुदायिक स्तरों विशेषकर औद्योगिक नगरों, मलिन बस्तियों में नुक्कड़ सभाएं तथा चौपाल कार्यक्रम प्रयोजित किए जांय।
5. विश्वविद्यालय स्तरों पर छात्रों को मानव तथा पर्यावरण के मध्य सम्बन्धों का अध्ययन कराया जाय तथा उन्हें पर्यावरण सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करने का ज्ञान कराया जाय।
6. पर्यावरणीय विज्ञान में प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों को पर्यावरणीय जागरूकता सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
7. समन्वित ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में 'पर्यावरणीय विचार मंच' के आयोजन प्रायोजित किये जाने चाहिये तथा पर्यावरण वैज्ञानिकों को विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ भागीदार बनना चाहिये।
8. पर्यावरण शिक्षा के अन्तर्गत छात्रों को स्थानीय पर्यावरण तथा पर्यावरणीय संरक्षण तथा सम्बन्धित विधानों का ज्ञान कराया जाय ताकि वे अपने मुहल्लों, घर तथा समुदाय को लाभान्वित कर सकें।

प्राथमिक तथ्यों का विश्लेषण : पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप कैसा है? इस प्रसंग में मेरी मान्यता है कि पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप इतना लचीला होना चाहिये कि उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, सामाजिक वानिकी, उद्यान विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान, आदि सभी को समेटने की क्षमता हो।[4] पर्यावरण हर कदम पर विभिन्नताओं से युक्त है; अतः पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक उदाहरणों को सभी जगह के लिये मानक नहीं बनाया जा सकता है किन्तु यह कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का सम्बन्ध क्रमशः घर, गॉव, क्षेत्र, तहसील, जिला, प्रदेश, देश तथा विश्व से होता है। अतः इस सन्दर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि स्वयं उस व्यक्ति के लिये उसके घर से लेकर विश्व तक का पर्यावरणीय ज्ञान उसके लिये मानक होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयु एवं विद्यालयी स्तर

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

के साथ–साथ पर्यावरणीय शिक्षा का स्तर वृहद किया जा सकता है। हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिये कि यदि आज हम अपने पर्यावरण से छेड़छाड़ करते हैं तो हमारी भावी पीढ़ी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शोधार्थी की सोच के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हो सकते हैं–

(क) प्राकृतिक संसाधन : भूगोलविदों के अनुसार– वायु, जल, वनस्पतियाँ, जीवजन्तु, मिट्टी, दृश्यावली आकार, श्रेणियाँ, भू–पदार्थ, ऊर्जा का स्रोत आदि हो सकते हैं।

(ख) मानव पर्यावरण सम्बन्ध : मेरी मान्यता है कि मानव पर्यावरण सम्बन्धों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जाना चाहिये– यथाः मनुष्य और उसका पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के रूप, संसाधन संरक्षण का इतिहास, पर्यावरण के गुण– जैसे वायु के गुण; जल प्रदूषण, कीटनाशक प्रदूषण, अपशिष्ट पदार्थ तथा नाभिकीय अपशिष्ट आदि, संसाधन संरक्षण में सामाजिक योगदान, जनसंख्या नियोजन–नगरीय व प्रादेशिक, नदी घाटी परियोजनायें इत्यादि।

(ग) पर्यावरणीय नियन्त्रण : पर्यावरणीय नियंत्रण के अन्तर्गत ध्वनि नियंत्रण, भूमिगत तथा धरातलीय जल के गुणों का नियंत्रण, अपशिष्ट जल का उपचार, वायु प्रदूषण पर रोक, मृदा प्रदूषण पर रोक, मरूस्थलीकरण पर नियंत्रण, बाढ़ व सूखा पर नियंत्रण आदि शामिल किए जा सकते हैं।

(घ) सामुदायिक पर्यावरण : सामुदायिक पर्यावरण के अन्तर्गत (1) सामुदायिक मनोरंजन तथा पर्यटन (2) पर्यावरणीय स्वस्थता की दृष्टि से सामुदायिक क्रीड़ा केन्द्रों, तरण तालों तथा पर्यटक स्थलों का अध्ययन (3) स्वरूप विद्या तथा जनसंख्या प्रवास (4) पर्यावरण अधिनियम, वायु तथा जल की स्वस्थता मानक (5) पर्यावरण संरक्षण आन्दोलन आदि के अध्ययन सम्भव हैं।

मेरी मान्यता है कि उपर्युक्त मुख्य बिन्दुओं से युक्त पर्यावरणीय शिक्षा के विस्तृत ज्ञान से लोगों में पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होगी जिससे प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कम किया जा सकेगा और पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखने में मदद मिलेगी।

पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन की भूमिका :

प्रायः सभी जानते हैं कि किसी भी देश की जनता और सरकार के बीच की कड़ी के रूप में प्रशासन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। सम्पर्क सेतु के रूप में अपनी इसी भूमिका का निर्वाह करते हुये प्रशासन एक तरह से सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के बीच लाता है और दूसरी तरफ उनके क्रियान्वयन के दौरान महसूस की जाने वाली विभिन्न कठिनाइयों एवं कमियों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करके उनके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रूप में पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन की भूमिका अहम् तथा सार्थक सिद्ध हो सकती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि क्या भारतीय प्रशासन पर्यावरण के प्रति अपने चुनौतीपूर्ण दायित्वों के प्रति सजग है? सामान्यतः इस प्रश्न का उत्तर 'नकारात्मक' ही मिलता है, लेकिन कुछ स्थानीय आन्दोलनों के दबाव में प्रशासन को सकारात्मक रूख अपनाने को बाध्य होना पड़ा है। नर्मदा घाटी परियोजना एवं परमाणु बिजलीघरों की उपादेयता सम्बन्धी विवादों एवं तत्सम्बन्धित जन आन्दोलनों के परिणाम स्वरूप; सरकार और प्रशासन को यह बोध होने लगा है कि अब बड़ी–बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति 'सरकारी गोपनीयता' के अंधेरे में सम्भव नहीं है। उन्हें महसूस हो गया है कि आज पर्यावरणविदों के नेतृत्व में

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

आम जनता विभिन्न परियोजनाओं को दीर्घकालिक हित की तराजू पर तौलने लगी है; यह स्थिति भारत में 'पर्यावरण आन्दोलनों' की उल्लेखनीय उपलब्धि है। वस्तुतः यदि प्रशासन अपनी इस भूमिका को पहचान ले तो खुलेपन की नीति एवं रचनात्मक प्रयासों के द्वारा स्थानीय समुदायों के विभिन्न वर्गों का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर पर्यावरण संरक्षण तथा विकास की दिशा में काफी कुछ उपलब्धि हासिल हो सकेगी।

पर्यावरण संरक्षण का व्यवस्थात्मक ढाँचा :

शोधार्थी की एक अन्य मान्यता यह भी है कि पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था का एक ढाँचा निम्न प्रकार भी हो सकता है–

अखिल भारतीय स्तर पर 'राष्ट्रीय पर्यावरणीय विकास अभिकरण' ;छंजपवदंस म्दअपतवदउमदजंस क्मअमसवचउमदज ।हमदबलद्ध का गठन किया जाय जिसके अन्तर्गत इस अभिकरण के संचालक मंडल में निदेशक के अलावा सदस्य के रूप में सभी प्रदेश/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रान्तीय पर्यावरण विकास अभिकरणों के अध्यक्ष शामिल हों, के रूप में किया जा सकता है। इस कड़ी में जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वन एवं वन्य जीवों जैसे विशिष्ट विषय क्षेत्रों में परामर्श एवं सहयोग हेतु अलग–अलग राष्ट्रीय सलाहकार समितियाँ भी गठित की जांय। देश के आर्थिक विकास हेतु पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं के निर्माण में इस अभिकरण की भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसके निदेशक को राष्ट्रीय योजना आयोग का पूर्ण कालिक सदस्य बनाया जाय। इस राष्ट्रीय अभिकरण की एक वर्ष में कम से कम चार पाँच बैठकें आयोजित होनी चाहिये। ताकि केन्द्र सरकार को इस सन्दर्भ में प्रस्तुत किये जाने वाले (प्रतिवेदनों) सुझावों को अन्तिम रूप दिया जा सके।

साथ ही प्रान्तीय स्तरों पर प्रत्येक प्रदेश/केन्द्रशासित क्षेत्र का अपना ''प्रान्तीय पर्यावरण विकास अभिकरण'' ;च्तवअपदबपंस म्दअपतवदउमदज क्मअमसवचउमदज ।हमदबलद्ध अवश्य हो। इन प्रान्तीय अभिकरणों में भी राष्ट्रीय अभिकरण की ही भाँति पर्यावरण प्रदूषण के प्रसंग के हर विषय पर अलग–अलग विशिष्ट सलाहकार समितियाँ गठित हों। प्रान्तीय अभिकरणों के संचालक मण्डल में अध्ययन के अलावा इसकी सभी सलाहकार समितियों के संयोजक और इतनी ही संख्या में प्रान्त की पर्यावरण प्रेमी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिये। इन प्रान्तीय अभिकरणों के अध्यक्ष को वहाँ के प्रान्तीय योजना आयोग का पदेन सदस्य होना चाहिये। ताकि वह 'स्थानीय पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं' को सुगमता से सुलझा सके। इतना ही नहीं 'पर्यावरण न्यायालय' का भी गठन समुचित संख्या में प्रत्येक प्रदेश/केन्द्र शासित क्षेत्र में किया जाना चाहिये ताकि पर्यावरण/प्रदूषक सम्बन्धी वादों (मुकद्दमों) का निस्तारण शीघ्रता से अविलम्ब किया जाना सम्भव हो सके। प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी को उनकी प्रशासनिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर एवं पर्यावरण की स्थिति पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिये। जिलाधिकारी को स्थायी निर्देशक होना चाहिये कि वह अपने जनपद की पर्यावरण प्रेमी संस्थाओं के नियमित सम्पर्क में रहें। उन्हें चाहिये कि वे जनपद की पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी के लिये स्वयं भी पहल करें और उन्हें सुलझाने में स्वयंसेवी संस्थाओं का सक्रिय सहयोग लें। इतना ही नहीं 'खण्ड विकास अधिकारी' ;ठसवबा क्मअमसवचउमदज व्पिपबमतद्ध को स्पष्ट आदेश होना चाहिये कि वह अपने क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधानों की त्रैमासिक बैठकें

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों पर विचारार्थ आयोजित करें; और उन्हें इस सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों तथा प्राप्त उपलब्धियों से अवगत करायें। ग्राम प्रधानों से उनके गॉवों में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित क्रियान्वित कार्यक्रम की सफलता/असफलता की जानकारी प्राप्त करके उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझावों के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने विकास खण्ड में पर्यावरण सुधार की प्रगति सम्बन्धी एक त्रैमासिक प्रतिवेदन जिलाधिकारी को भेजा जाना चाहिये। जिलाधिकारी इन प्रतिवेदनों के आधार पर प्रत्येक खण्ड विकास अधिकारी को सम्बन्धित परियोजनाओं (कार्यक्रमों) में सुधार हेतु निर्देश दें ऐसा करने से भी पर्यावरण संरक्षण किया जाना सम्भव हो सकता है।

तालिका 1

क्र	प्रश्न	अभिमत हॉ	नही	उदासीन	योग
1	प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।	78	10	12	100

तालिका 2

क्र	पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करनें के कारणों के प्रति निदर्शितों के अभिमत	अभिमत हॉ	नही	उदासीन	योग
1	बालक–बालिकाओं का मन मस्तिष्क अत्यधिक कोमल होने के कारण प्रभाव स्थाई है।	82	12 18	06 10	100
2	पर्यावरण प्रदूषण का हानियो का आभासं होना आवश्यक है	72	00	08	100
3	बालक–बालिकाओं की संवेदन शीलता लाभकारी हो सकती है	92	00	00	100
4	इस आयु वर्ग में पर्याप्त उर्जा होती है जिसका सदुपयोग हो सकता है।	100			100

सन्दर्भ सूची–

विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग : प्रतिवेदन (1987), पृष्ठ 53
माहेश्वरी रंजना ; पर्यावरणीय संरक्षण एवं जन चेतना, विकास पब्लिकेसन्स, दिल्ली 2010, पृष्ठ 176
अग्रवाल एस.के. ; पर्यावरण तथा विकास, रिसर्च पब्लिकेसन्स (राजस्थान) जयपुर, 2012, पृष्ठ 89
सक्सेना डी.पी. ; पर्यावरण शिक्षा तथा उसका स्वरूप ; चेतना प्रकाशन इन्दौर (म0प्र0) 2013, पृष्ठ 29

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies